प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

संयुक्त विकास आयुक्त,
वाराणसी, आगरा एवं सहारनपुर मण्डल

पंत्राक– 595 /बजट/700(4)/07–08 लखनऊः दिनांकः 30 मार्च – 2008

विषय– **लेखा शीर्षक " 2515– अन्य ग्राम्य विकास कार्यकम–आयोजनेत्तर–001 निदेशन तथा प्रशासन–04– विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत धनराशि का आवटंन।**

महोदय,

शासनादेश सं0–623/38–3–2008–1111/2006 दिनांक 27.03.2008 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त हुई है। शासनादेश में प्राप्त स्वीकृत के आधार पर संलग्न परिशिष्ट में अंकित विवरण के अनुसार मानक मदवार धनराशि का आवंटन किया जाता है। आवंटित धनराशि का कोषागारवार प्रगामी योग संलग्न परिशिष्ट के स्तंभ–10 में अंकित है।

2– आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये मितव्ययता सम्बंधी आदेशो का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो।

4– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के आधीन लेखा शीर्षक " **2515– अन्य ग्राम्य विकास कार्यकम– आयोजनेत्तर – 001 निदेशन तथा प्रशासन–04– विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय** " के अन्तर्गत सुसंगत व्यय की मानक मद के नामे डाला जायेगा।

5– उपरोक्त आवटंन की प्रविष्ट को केन्द्रीय नियन्त्रण रजिस्टर (**आयोजनेत्तर–पक्ष**) के **पृष्ठ सं0– 19** पर अंकित किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि मासिक व्यय विवरण आगामी माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय में निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। इसमे कोषागार बाउचर संख्या एवं दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाये।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

कोड सं0–

2515	00	001	04	00

भवदीय,

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पंत्राक– 595 /बजट/700(4)/07–08 उक्तदिनांक

प्रतिलिपि– निम्न लिखित को संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, (सम्बंधित मंडल) उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि लेखाशीर्षक " 2515– अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर पक्ष का प्रगामी योग संलग्न परिशिष्ट के स्तम्भ– 10 में अंकित है।
2– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)– प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– महालेखाकार(सम्प्रेक्षा)– प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन ग्राम्य विकास अनु0 – 3
5– संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनु0– 2
6– सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7– गार्ड फाइल हेतु।

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- 595 /बजट/700(4)/2007-08 लखनऊ: दिनांक 30 - मार्च, 2008 का संलग्नक

अनुदान सं0-13, लेखाशीर्ष-"2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-
001-निदेशन तथा प्रशासन-
04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत धनराशि
का आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2007-08 (परिशिष्ट) धनराशि रुपये

budget23 J.D.C./D.D.C. BUDGET ALLOTMENT 2007-2008

SL. NO.	DISTRICTS	01 PAY	03 D.A.	06 O.A.	45 L.T.C.	50 D.A. PAY	TOTAL	LAST PROGR ESSIVE	PROGR ESSIVE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VARANSI DIVI.	246000	0	0	0	128000	374000	36847730	37221730
2	AGRA DIVI.	38400	0	0	0	0	38400	52490567	52528967
3	SAHARANPUR DIV	0	0	0	27504	0	27504	34416114	34443618
	TOTAL	284400	0	0	27504	128000	439904	123754411	124194315

(रू0चार लाख उन्तालीस हजारनौ सौ चार मात्र)

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।